

47

पत्रांक : 6/एस-4/(वे०पु०)-06/2009/1117/90
झारखंड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक 03/6/11

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखंड।

विषय : वित्त विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 01.09.2009 के परिशिष्ट-I की कंडिका-5 के प्रावधान के अंतर्गत सरकारी सेवक को उच्च ग्रेड-पे लाभ प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं, जिसमें संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 01.09.2009 के परिशिष्ट-I की कंडिका-5 की गलत व्याख्या करते हुए कुछ कार्यालयों में सरकारी सेवक के ग्रेड-पे की बढ़ोतरी दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से कर दी गई है। कुछ कार्यालयों में ग्रेड-पे परिवर्तन करते समय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ (3%) स्वीकृत कर दिया गया है। यह निर्गत संकल्प के विरुद्ध गलत निर्धारण का मामला है।

वर्णित मामले में प्रावधान को स्पष्ट करते हुए सरकारी कर्मों को ग्रेड-पे का लाभ निम्नानुसार प्रदान करने का निदेश दिया जाता है :-

1. किसी सेवा/संवर्ग/संगठन के सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति रु० 5000-8000 के वेतनमान में हुई है तथा नियमित प्रोन्नति अथवा ए०सी०पी० लाभ के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 तक (अब दिनांक 31.08.2008 तक विस्तारित) प्रथम प्रोन्नति/ए०सी०पी० के फलस्वरूप वेतनमान रु० 5500-9000 तथा द्वितीय प्रोन्नति/ए०सी०पी० के फलस्वरूप वेतनमान रु० 6500-10500 में स्वीकृत है तथा नई वेतन संरचना में ग्रेड-पे रु० 4200 स्वीकृत है, उन्हें ए०ए०सी०पी० योजना लागू होने की तिथि दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से प्रथम मामले में ग्रेड-पे रु० 4600 तथा द्वितीय मामले में सीधे ग्रेड-पे रु० 4800 देय होगा।

2. उपरोक्त समान स्थिति में सीधी नियुक्ति के वेतनमान रु० 5000-8000 या रु० 5500-9000 के सरकारी सेवक का प्रथम नियमित प्रोन्नति या ए०सी०पी० वेतनमान रु० 6500-10500 होने की स्थिति में उन्हें दिनांक 01.09.2008 से ग्रेड-पे रु० 4600 का लाभ देय होगा।

3. दिनांक 01.09.2008 को परिवर्तित ग्रेड-पे का लाभ देने पर वेतन निर्धारण में मात्र ग्रेड-पे की अंतर राशि जोड़ी जायेगी। इसके अलावे अन्य कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

4. यह लाभ मात्र उन्हीं सरकारी सेवक को देय है, जिनकी नियुक्ति मूल कोटि पद अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 5000-8000 में हुई है।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 परिशिष्ट-1 की कड़िका-5 से आच्छादित मामले का निष्पादन उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में की जाये। अगर किसी सरकारी सेवक को गलत वेतन निर्धारित किया गया है, तो उसे अविलम्ब संशोधित कर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की वसूली तुरंत कर ली जाय। भविष्य में अगर किसी मामले में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अतिरिक्त भुगतान का मामला प्रकाश में आता है, तो उसकी पूर्ण जबाबदेही संबंधित कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।

विश्वासभाजन,

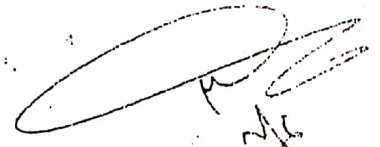
ह०/-

(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव।

झापांक : 6/एस-4/(वे०पु०)-06/2009/1117/र० राँची/दिनांक 03/08/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, झारखंड/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, झारखंड, राँची/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/जनसूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सुखदेव सिंह)

सरकार के सचिव।